उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या: 3527 /12-2-2013-128/2013

लखनऊ: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में कृषि की लागत में वृद्वि हो जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि कृषकों की आय में वृद्वि के लिए किसान आय वृद्वि आयोग का गठन किया जायेा। उक्त आयोग कृषकों की आय में वृद्वि के लिए समय-समय पर सुझाव देगा। इस हेतु प्रदेश में किसान आय वृद्वि आयोग के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त आयोग उत्पादन लागत में कमी हेतु प्रतिवर्ष खरीफ तथा रबी मौसम प्रारम्भ होने के पूर्व बैठक करते हुए अपने सुझाव संस्तुत करेगी जिसके आधार पर कृषकों को उनकी फसलों के उत्पादन लागत में कमी करने हेतु जागरूक करते हुए प्रदेश में फसलों का अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि प्रदेश के कृषक कम लागत में अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करते हुए अपनी आय में वृद्वि कर सकेंगे। फलस्वरूप प्रदेश में फसलों के उत्पादन में वृद्वि के साथ ही साथ कृषकों की आय में भी वृद्वि हो सकेगी।

कुमारी रचा० 01.01.14

3. गठित किसान आय वृद्वि आयोग का स्वरूप निम्नवत होगा:-

1	मा0 मुख्य मंत्री जी	अध्यक्ष
2	मा0 सहकारिता मंत्री जी	सदस्य
3	मा0 कृषि मंत्री जी	सदस्य
4	मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी	सदस्य
5	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ	सदस्य
10	कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	सदस्य

11	कुलपति, मा0 कांशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा	सदस्य
12	कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद	सदस्य
13	महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ	सदस्य
14	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
15	निदेशक, मण्डी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
16	निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य सचिव

3. उक्त आयोग में तीन विशेषज्ञ भी सदस्य के रूप में नामित किए जायेंगे।

4. आयोग के दायित्व:

(1) प्रदेश में कृषकों की आय में वृद्वि हेतु किसान आय वृद्वि आयोग द्वारा सुझाव दिया जायेगा।

(2) कृषि लागत मूल्य कम किए जाने के सम्बन्ध में सुझाव।

(3) उर्वरक एवं सिचाई जल उपयोग क्षमता बढाने के सम्बन्ध में सुझाव।

(4) मृदा स्वास्थ्य सुधार के सम्बन्ध में सुझाव।

(5) कम लागत वाली उत्पादन प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में सुझाव।

(6) जैविक खेती को बढावा दिये जाने के सम्बन्ध में सुझाव।

(7) फसल अवशेष को खेतो में न जलाने के लिए नीतिगत निर्णय हेतु सुझाव।

(8) भूगर्भ जल का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन लिए जाने पर सुझाव।

(9) बी0टी0 काटन पर सुझाव।

(10) जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुझाव।

(11) किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि विपणन व्यवस्था को सुदृढ करने के सम्बन्ध में सुझाव।

(12) कृषि के टिकाऊ विकास हेतु उपयोगी सुझाव।

5. किसान आय वृद्वि आयोग की बैठक के पूर्व आयोग के उपयोगार्थ विचाराणीय बिन्दु/एजेण्डा तैयार करने हेतु कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में कृषि निदेशालय स्तर पर कार्यरत समस्त नियंत्रक अधिकारियों की बैठक आहूत करते हुए आयोग की बैठक के विचारार्थ एजेण्डा तैयार किया जायेगा।

6. आयोग की बैठक बुलाने का कार्य निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित की जायेगी।

7. आयोग द्वारा संस्तुत सुझाव को कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में लागू कराया जायेगा।

देबाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।

संख्या: 3527 (1)/12-2-2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन।
9. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय,मोदीपुरम, मेरठ।
10. कुलपति,चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
11. कुलपति, मा0 कांशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा।
12. कुलपति,आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,कुमारगंज,फैजाबाद।
13. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
14. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. निदेशक, मण्डी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
विशेष सचिव।